



न्यायालय- जिला न्यायाधीश, जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी - ओमी पुरोहित
दीवानी मूलवाद संख्या:- 17/2026

01. अमित मित्तल पुत्र श्री आनन्द प्रकाश मित्तल आयु 52 वर्ष निवासी ए-186 राजेन्द्र प्रसाद कालौनी जैसलमेर जरिये मुख्तयारआम आशीष कुमार शारदा पुत्र श्री दीनदयाल शारदा आयु 50 वर्ष निवासी शारदा पाडा जैसलमेर तहसील व जिला जैसलमेर।
02. महेश बिडला पुत्र श्री सत्यदेव बिडला निवासी रिको रेजीडेंसी कालौनी जैसलमेर तहसील व जिला जैसलमेर।
03. घनश्याम सोनी पुत्र श्री बद्रीनारायण सोनी निवासी मकान सख्या 6, पोकरण हाउस, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर।
04. सिद्धार्थ पुरोहित पुत्र श्री बृजमोहन पुरोहित आयु वर्ष निवासी किले उपर कुंड पाडा जैसलमेर तहसील व जिला जैसलमेर।
05. मनीष पुरोहित पुत्र श्री बृजमोहन पुरोहित निवासी किले उपर कुंड पाडा जैसलमेर तहसील व जिला जैसलमेर।
06. पंकज पुरोहित पुत्र श्री बृजमोहन पुरोहित निवासी किले उपर कुंड पाडा जैसलमेर तहसील व जिला जैसलमेर।

-वादीगण

बनाम

01. कालूराम पुत्र नारायणदास पुरोहित निवासी ढिब्बा पाडा जैसलमेर तहसील व जिला जैसलमेर।
02. सचिव यू आई टी जैसलमेर जिला जैसलमेर।

-प्रतिवादीगण

आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थित:-

01. श्री विपिन कुमार व्यास, अधिवक्ता वास्ते वादी।
02. श्री शुभम पुरोहित, अधिवक्ता, वास्ते प्रतिवादी संख्या 01
03. प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।



आदेश

दिनांक-13-08-2026

01. यह आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 कालूराम की ओर से पेश कर जाहिर किया कि वाद पत्र में अंकित अभिवचनों के आधार पर यह दावा विधि द्वारा बाधित है।

02. प्रतिवादी ने जाहिर किया कि 08 अगस्त, 2013 को भागीदारी फर्म M/S Vantage Hotel & Resort अस्तित्व में लाई गई थी, जिसकी रजिस्टर्ड फर्म की कॉपी पेश की गई हैं। अतः विवादग्रस्त भूमि जिसका विभाजन का दावा पेश किया गया है वह विवादग्रस्त भूमि भागीदारी फर्म M/S Vantage Hotel & Resort की है अतः भागीदारी फर्म की सम्पत्ति के लिए विभाजन का दावा पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि फर्म के विघटन(Dissolution) और हिसाब(Rendition of Accounts) का दावा प्रस्तुत नहीं किया जावे, ऐसा भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 14, 29, 48 से विदित हैं। चूंकि वादीगण द्वारा ऐसा वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः वर्तमान पत्रावली में विभाजन का वाद पेश किया गया है वो कानूनन वर्जित(Barred by Law) है।

03. प्रतिवादी का यह भी कथन है कि अमित मित्तल जो जरिये मुख्त्यार आम आशीष कुमार शारदा जिसने दावा पेश किया है उसने आशीष कुमार शारदा को अवैध रूप से विवादग्रस्त भाग का 1/7 हिस्सा डेढ करोड़ में बेचान किया है जो भूमि फर्म के नियमों के खिलाफ है जब आपत्ति करने पर उसकी बेचान रजिस्ट्री रोकी गई, जिससे यह झूठा विभाजन का दावा पेश किया गया है। वादी का दावा बाबत विभाजन जायदाद एवं शाश्वत निषेधाज्ञा विधि अनुसार पोषणीय नहीं हैं। अतः वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया।

04. उपरोक्त प्रार्थना पत्र का जवाब वादीगण की तरफ से दिया गया। वादीगण की तरफ से जवाब पेश कर बताया कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता आधारहीन एवं गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण काबिल निरस्ती है। प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 व 3 में गलत तथ्य अंकित किये हैं। प्रतिवादी को एतराज है तो वह अपने जवाबदावे में उक्त एतराज ले सकता है, इस कारण यह प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।



05. वादी ने प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 से 06 में गलत तथ्य अंकित किये हैं। अतः प्रतिवादी का आवेदन आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया।

06. संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण 01 लगायत 06 की तरफ से प्रतिवादीगण कालूराम एवं सचिव यू.आई.टी., जैसलमेर के खिलाफ एक दावा बाबत विभाजन जायदाद एवं शाश्वत निषेधाज्ञा का पेश किया। जिसमें जाहिर किया कि वादीगण और प्रतिवादीगण ने मिलकर जैसलमेर शहर में नगर विकास न्यास, जैसलमेर से जरिये नीलामी एक सम्पत्ति वाके एस.डी.व्यास होटल कॉम्पलेक्स भूखंड संख्या 5 क्रय की है। उक्त भूखंड की नाप शाश्वत डीड अनुसार 136.95 मीटर गुणा 110.36 मीटर कुल 15425.00 वर्ग मीटर है व हद्द निम्नानुसार है-

उत्तर - भूखंड संख्या 4 (136.95 मीटर)

दक्षिण -100 फीट रोड (114.25 मीटर)

पूर्व- 100 फीट रोड (138.25 मीटर)

पश्चिम-100 फीट रोड (110.36 मीटर)

उक्त सम्पत्ति का नक्शा लीज डीड के सलग्र हैं

07. उपरोक्त भू-भाग के वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त अविभाजित सम्पत्ति होना बताया है, जिसका बंटवारा नहीं होने और सभी का बराबर हिस्सा होना जाहिर किया गया है, प्रत्येक पक्षकार का 1/7-1/7 हिस्सा होना जाहिर किया है। वादीगण अपने हिस्से को मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाना चाहते हैं जबकि प्रतिवादी अकेले सम्पत्ति को हड़पना चाहता हैं।

08. वादीगण का कथन है कि आपसी खर्चे का हिसाब करने बाबत कहा गया तो प्रतिवादीगण नाराज हो गया। यह पार्टेशन जायदाद का दावा पेश किया जा रहा हैं। वादी की तरफ से तरफ से पेश दावा की मद संख्या 06 इस प्रकार हैं-

यह हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादी द्वारा उक्त सम्पत्ति पर होटल/रिसॉर्ट व्यवसाय करने के लिये उक्त सम्पत्ति को एक साथ खरीद किया गया था और सम्पत्ति पर होटल निर्माण आदि करने के लिये एक भागीदारी फर्म भी बनाई गई थी। प्रतिवादी द्वारा जानबूझकर उक्त भागीदारी फर्म के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है और वादग्रस्त



सम्पत्ति पर विधि अनुसार कोई निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है और जबरदस्ती प्लांट पर विधि विरुद्ध निर्माण किया जा रहा है और प्लांट पर कबाड वाहन आदि खड़े किये जा रहे हैं। जिससे प्लांट को यू आई टी जैसलमेर द्वारा विधि विरुद्ध निर्माण के कारण खारिज भी किया जा सकता है। इस प्रकार प्रतिवादी अकेले सभी वादीगण के हित प्रभावित कर उन्हें नुकसान पहुंचाने पर उतारू हैं।

अभी कुछ दिन पूर्व प्रतिवादी सख्या एक ने वादीगण को उक्त सम्पत्ति को प्रतिवादी के हक में हकत्याग करने के लिये नोटिस भेज दिया है एवं इसी प्रकार से अवैध तरीके से सम्पत्ति हडप करने का दबाव डाला जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी द्वारा मानसिक संताप के लिये करीब 50 लाख रुपये की मांग की जा रही है। प्रतिवादी द्वारा वादीगण पर अन्य फौजदारी मुकदमें करने की धमकी भी दी जा रही है। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी उक्त सम्पत्ति को अकेले ही हडप करना चाहते हैं। प्रतिवादी सख्या एक द्वारा अवैध तरीके से सम्पत्ति पर अधिकार जमाया जा रहा है ताकि अन्य हिस्सेदार को दबाव डाल कर उन्हें सम्पत्ति से विरत किया जा सकें। जो कि वादीगण के हक अधिकार को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है।

09. वादी ने वाद में निम्न डिक्री चाही हैं-

- (1) कि वादग्रस्त सम्पत्ति जिसकी हदूद वाद-पत्र के पद संख्या 02 में दी गई हैं, उसे वाद के अनुसार वादीगण के हिस्सा का बंटवारा मिन्स बाउण्ड किये जाने की प्रारम्भिक डिक्री प्रदान करावें व संपत्ति में वादीगण का 1/7-1/7 हिस्सा अलग से मार्क किया जाकर उसका पृथक कब्जा वादीगुण को दिलावें।
- (2) यह है कि इसी आशय की अन्तिम डिक्री वादी के पक्ष में सादिर फरमायें।



- (3) कि वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से उनके द्वारा सम्पत्ति पर अन्य भागीदारों की सहमति के बिना कमरा आदि बनाकर एवं वाहन आदि खड़े कर उसका अवैध रूप से उपयोग करने के कारण अन्तवर्ती लाभ की राशि रुपये 50,000/-प्रतिमाह विभाजन नहीं होने तक वादीगण को अदा करने के आदेश फरमावें।
- (4) कि जरिये शाश्वत निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त जायदाद बाबत मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं वादग्रस्त जायदाद का बेचान हस्तांतरण न करें।
- (5) कि खर्चा मुकदमा व वकील फीस, वादी को प्रतिवादीगण से दिलावें।
- (6) कि अन्य अनुतोष, जो मुफीद वादी हो तथा न्यायोचित हो, वादी के हक में प्रदान करावें।
10. उपरोक्त दावा पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 01 की तरफ से आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का आवेदन पेश किया गया, जिसका जवाब वादीगण की तरफ से दिया गया।
11. दोनों पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।
12. प्रतिवादीगण का अपने आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के संबंध में निवेदन हैं कि विवादग्रस्त भू-भाग जिसके लिए दावा विभाजन जायदाद एवं शाश्वत निषेधाज्ञा का पेश किया गया है वो विवादग्रस्त भू-भाग भागीदारी फर्म M/S Vantage Hotel & Resort की भूमि है जो रजिस्टर्ड फर्म की भूमि है, जिसके लिए फर्म के विघटन(Dissolution) और हिसाब(Rendition of Accounts) का वाद प्रस्तुत किया जा सकता था, वैसा नहीं किया गया है। अतः भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 14, 29, 48 से विदित हैं कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वर्तमान स्वरूप में कानूनन वर्जित((Barred by Law)हैं।
13. इस संबंध में प्रतिवादी ने जाहिर किया कि वादीगण ने अपने वाद पत्र के पद संख्या 06 में वाद पत्र के पद संख्या 01 में दर्शित भूमि को होटल/रिसोर्ट के व्यवसाय हेतु सम्पत्ति को एक साथ खरीदा गया था। व्यवसाय हेतु भागीदारी फर्म भी बनाई गई थी। वादीगण द्वारा यह आरोपित किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भागीदारी फर्म के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है। अतः वादी अपने दावे



में स्पष्ट वाद पत्र के पद संख्या 01 में दर्ज भू-भाग को भागीदारी फर्म की भूमि होना जाहिर करता है और भागीदारी फर्म का गठन करना भी जाहिर करता है।

14. वादी के वाद पत्र के पद संख्या-06 का पैरा संख्या 01 इस प्रकार हैं-

"यह हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादी द्वारा उक्त सम्पत्ति पर होटल/रिसॉर्ट व्यवसाय करने के लिये उक्त सम्पत्ति को एक साथ खरीद किया गया था और सम्पत्ति पर होटल निर्माण आदि करने के लिये एक भागीदारी फर्म भी बनाई गई थी। प्रतिवादी द्वारा जानबूझकर उक्त भागीदारी फर्म के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है और वादग्रस्त सम्पत्ति पर विधि अनुसार कोई निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा हैं और जबरदस्ती प्लांट पर विधि विरुद्ध निर्माण किया जा रहा हैं और प्लांट पर कबाड वाहन आदि खड़े किये जा रहे हैं। जिससे प्लांट को यू आई टी जैसलमेर द्वारा विधि विरुद्ध निर्माण के कारण खारिज भी किया जा सकता हैं। इस प्रकार प्रतिवादी अकेले सभी वादीगण के हित प्रभावित कर उन्हें नुकसान पहुंचाने पर उतारू हैं।"

15. प्रतिवादी का कथन हैं कि उसने वादीगण को नोटिस दिया था, जिसका हवाला भी वादीगण अपने वाद-पत्र के पैरा संख्या 06 में उल्लेखित कर रहा है और उस नोटिस को उस दावे के साथ पेश कर रहा हैं।

16. वादी के वाद पत्र के पद संख्या-06 का पैरा संख्या 02 इस प्रकार हैं

"अभी कुछ दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या एक ने वादीगण को उक्त सम्पत्ति को प्रतिवादी के हक में हकत्याग करने के लिये नोटिस भेज दिया हैं एवं इसी प्रकार से अवैध तरीके से सम्पत्ति हडप करने का दबाब डाला जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी द्वारा मानसिक संताप के लिये करीब 50 लाख रुपये की मांग की जा रही हैं। प्रतिवादी द्वारा वादीगण पर अन्य फौजदारी मुकदमें करने की धमकी भी दी जा रही हैं। जिससे स्पष्ट हैं कि प्रतिवादी उक्त सम्पत्ति को अकेले ही हडप करना चाहते है।



प्रतिवादी संख्या एक द्वारा अवैध तरीके से सम्पत्ति पर अधिकार जमाया जा रहा हैं ताकि अन्य हिस्सेदार को दबाव डाल कर उन्हें सम्पत्ति से विरत किया जा सकें। जो कि वादीगण के हक अधिकार को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता हैं।"

17. प्रतिवादी का कथन हैं कि जो नोटिस वादीगण द्वारा पेश किये गये हैं उस नोटिस में भी स्पष्ट तौर से फर्म का गठन होना और फर्म के लिए भू-भाग खरीद करना अंकित हैं, जो वादीगण ने अपने दावे के साथ पेश किया है।
18. प्रतिवादी का कथन हैं कि वादी अपने भू-भाग में वाद-पत्र के पद संख्या 06 में यह स्पष्ट उल्लेख करता हैं कि विवादग्रस्त भू-भाग जो पद संख्या 01 में अंकित है जिसके विभाजन जायदाद के लिए दावा पेश किया गया है वो भू-भाग होटल व्यवसाय के लिए खरीद किया गया था, जिसकी भागीदारी फर्म बनाई गई थी एवं प्रतिवादी ने जो नोटिस दिया उसको भी दावे के साथ पेश किया हैं।
19. लेकिन वादीगण ने फर्म का विघटन (Dissolution) और हिसाब (Rendition of Accounts) का उल्लेख नहीं किया है, जिससे वादी का यह वाद कानूनन बाधित है। वादी पार्टनरशिप भू-भाग के लिए विघटन(Dissolution) और हिसाब (Rendition of Accounts) का वाद प्रस्तुत कर सकता है, जो नहीं किया है, जिससे यह विभाजन का वाद पोषणीय नहीं है। वादी ने आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता में पार्टनरशिप डीड पेश की है, जिसमें इस फर्म का स्टार्ट होना 01.04.2013 होना अंकित किया गया है तथा इस फर्म में जो पार्टनरशिप का जो हिस्सा अंकित किया गया है, वो इस प्रकार हैं-

01.	Amit Mittal	18.75%
02.	Mahesh Birla	18.75%
03.	Ghan Shyam Soni	12.50%
04.	Kalu Ram Purohit	16.66%
05.	Siddharth Purohit	11.11%
06.	Shri Manish Purohit	11.11%
07.	Shri Pankaj Purohit	11.12%



20. प्रतिवादी ने यह भी जाहिर किया कि आम मुख्त्यार आशीष कुमार शारदा जो अमित कुमार की तरफ से दावा पेश कर रहा है उसने अमित कुमार का हिस्सा डेढ़ करोड़ में खरीद किया गया जिसकी रजिस्ट्री करवाने जा रहा था जिसकी रजिस्ट्री उप पंजीयक कार्यालय में आपत्ति पेश करके रोका गया है क्योंकि भागीदारी फर्म का भू-भाग बेचान वगैर भागीदारी विघटन के नहीं हो सकता हैं।

21. प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये-

(i) (1977) 4 SCC 467

T. Arivandandam Vs. T.V. Satyapal & Anr.,

(ii) (1998) 7 SCC 184

Raptakos Brett & Co. Ltd. Vs. Ganesh Property,

(iii) (2006) 3 SCC 100

Mayar (H.K.) Ltd. & Ors. Vs. Owners & Parties Vessel
M.V. Fortune Express & Ors.)

22. प्रतिवादी अधिवक्ता ने उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त पेश कर जाहिर किया कि यदि वाद विधि द्वारा बाधित हो तो उसे प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर देना चाहिए।

23. वादीगण की तरफ से यह आपत्ति ली गई हैं कि प्रतिवादी ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रतिवादी अपनी आपत्ति जवाबदावे में ले सकता है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

24. इस संबंध में न्यायिक दृष्टान्त माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद सिविल रिविजन संख्या 534/2013 घनश्यामदास अग्रवाल एवं अन्य बनाम श्याम बिहारी गुप्ता का भी अवलोकन किया गया, जिसमें आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत भागीदारी फर्म की सम्पत्ति के लिए जायदाद विभाजन का दावा पेश किया गया। उस दावे को खारिज किया गया हैं। अतः हस्तगत प्रकरण में भी वादी के वाद पत्र के पैरा संख्या 06 के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि जिस भू-भाग का विभाजन जायदाद का दावा पेश किया गया है वो भू-भाग होटल और रिसोर्ट के लिए भागीदारी फर्म में खरीदा गया था। अतः विवादग्रस्त भू-भाग के लिए पार्टनरशिप फर्म के विघटन(Dissolution) और हिसाब(Rendition of



Accounts) का दावा पेश किया जा सकता है लेकिन वादीगण ने ऐसा दावा पेश नहीं किया है एवं न ही प्रस्तुत दावे में फर्म का विघटन(Dissolution) और हिसाब(Rendition of Accounts) हो चुका है, ऐसा जाहिर किया है। अतः इन परिस्थितियों में वादीगण द्वारा जायदाद विभाजन का दावा पोषणीय नहीं है। अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के अवलोकन के पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 का आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य हैं।

25. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया स्वीकार किया जाकर वादीगण का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(ओमी पुरोहित)

जिला न्यायाधीश,

जैसलमेर

26. आदेश आज दिनांक 13.08.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमी पुरोहित)

जिला न्यायाधीश,

जैसलमेर